मानक प्रचालन कार्यविधि

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

उत्तराखण्ड

देहरादून, उत्तराखण्ड

गोरखपुर एनवायरन्मेन्टल एक्शन ग्रुप,
गोरखपुर

नोट

मानक प्रचालन कार्यविधि

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, उत्तराखण्ड

देहरादून, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड राज्य

विवरणिका

1. संदर्भ

2. उद्देश्य

3. पूर्व तैयारी क्रिया
   - 3.1 संस्थागत भूमिका एवं जिम्मेदारियों का निर्धारण
   - 3.2 जोखिम आकलन
   - 3.3 संसाधन मानचित्रण
   - 3.4 संसाधनों का रख-रखाव
   - 3.5 क्षमतावर्धन व माकड्रिल का आयोजन

4. सूचना का प्रवाह व क्रियाशीलता हेतु मार्ग निर्देश

5. दिशा-निर्देशन एवं समन्वयन
   - 5.1 अल्प अवधि की चेतावनी अथवा चेतावनी न मिलने की स्थिति में सक्रियता
   - 5.2 पहले से चेतावनी मिलने की स्थिति में सक्रियता

6. आपदा के दौरान की जाने वाली गतिविधियों की प्रक्रिया
   - 6.1 प्रथम चरण
   - 6.2 द्वितीय चरण

7. आपदा के बाद की जाने वाली गतिविधियों की प्रक्रिया
   - 7.1 प्रशासनिक कार्य
   - 7.2 सम्पादित प्रचालन पर विचार-विमर्श

8. चेकलिस्ट

1. संदर्भ

आपदा के दौरान पेयजल एवं स्वच्छता सेवाएं सर्वाधिक प्रभावित होती हैं। उत्तराखण्ड विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं– भारी बारिश, बादल फटने, भूस्खलन आदि से अधिक संवेदनशील है। विकास के क्रम में की जा रही गतिविधियां इस संवेदनशीलता को और बढ़ा रही हैं। ऐसी परिस्थिति में आपदा से होने वाले नुकसान तथा आपदा के प्रभावों को कम करने हेतु आपदा के दौरान की जाने वाली गतिविधियों को और प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। अतः आपदा पूर्व की जाने वाली तैयारियों तथा आपदा के बाद वाले चरणों पर भी ध्यान देना महत्वपूर्ण होगा। आपदा पूर्व, आपदा के दौरान एवं बाद सभी चरणों में सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता एवं जलस्रोतों व जल संसाधनों की सुरक्षा एक महत्वपूर्ण कार्य है। यद्यपि आपदा के विभिन्न चरणों से निपटने हेतु विभाग के राज्य स्तरीय वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जनपद एवं विकासखण्ड स्तर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु समय–समय पर दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैं। उन्हीं दिशा–निर्देशों को व्यवस्थित क्रम प्रदान करते हुए उत्तराखण्ड पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की मानक प्रचालन कार्यविधि (Standard Operating Procedure) तैयार की गयी है। विभाग की यह मानक प्रचालन कार्यविधि इस अर्थ में भी महत्वपूर्ण है कि इसके माध्यम से आपदा के विभिन्न चरणों में विभाग अपनी सेवाएं गुणवत्तापूर्ण तरीके से प्रभावितों तक पहुंचा सकेगा।

2. उद्देश्य

विभाग की मानक प्रचालन कार्यविधि बनाने के निम्नवत् उद्देश्य हैं –

- विभाग के अन्दर राज्य से लेकर जनपद स्तर तक सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के बीच अपने कार्यों एवं जिम्मेदारियों के प्रति स्पष्टता होना।
- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की दोनों इकाइयों– उत्तराखण्ड जल संस्थान एवं पेयजल निगम के बीच समन्वय स्थापित करते हुए आपदा से निपटने हेतु रणनीति निर्धारण करना।
- आपदा की स्थिति में सेवाओं की तत्काल बहाली सुनिश्चित करते हुए प्रभावितों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना।
- आई0एस0ओ0 10500 के मानक अनुसार पेयजल की गुणवत्ता सुनिश्चित करना।

3. पूर्व तैयारी क्रिया

विभाग द्वारा पूर्व तैयारी क्रिया के अन्तर्गत निम्न गतिविधियां सम्पादित की जायेंगी –

3.1 संस्थागत भूमिका एवं जिम्मेदारियों का निर्धारण

- सचिव आपदा प्रबन्धन के निर्देशानुसार राज्य से जनपद स्तर तक बाढ़, भूस्खलन व त्वरित बाढ़ के लिए आई0आर0एस0 की न्यूनतम आवश्यकताओं के अनुरूप जैसे – नियोजन, लाजिस्टिक एवं आपरेशन विंग में सक्षम अधिकारियों को नामित व अन्य कार्मिकों को चिन्हित कर उसकी सूचना राज्य एवं जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र को उपलब्ध कराना सुनिश्चित कराया जायेगा। राज्य स्तर पर प्रबन्ध निदेशक/मुख्य महा प्रबन्धक व जनपद स्तर पर अधिशासी अभियन्ता नोडल अधिकारी होंगे।
- राज्य आपदा नोडल अधिकारी के निर्देशन में मई माह तक सभी सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों के बीच व्हाट्स–अप ग्रुप तैयार कर लिया जायेगा ताकि आपदा से सम्बन्धित सभी प्रकार की सूचनाएं आसानी से कम समय के अन्दर सभी लोगों तक पहुंचायी जा सकें।

- प्रत्येक जनपद के अधिशासी अभियन्ता के निर्देश पर मार्च–अप्रैल माह तक सभी खण्डों के सहायक अभियन्ता/जूनियर अभियन्ता सभी अनुरक्षित पेयजल योजनाओं का विवरण संकलित कर जनपद मुख्यालय को प्रेषित करेंगे। ग्राम सभा के अनुरक्षण में चल रही पेयजल योजनाओं की सूचना पंचायती राज विभाग के माध्यम से प्रस्तुत की जायेगी। वहां से यह संकलन राज्य स्तर के विभाग मुख्यालय में प्रेषित किया जायेगा।

3.2 जोखिम आकलन

- राज्य में आपदा की दृष्टि से सर्वाधिक संवेदनशील जनपदों व जनपदों के अन्तर्गत सर्वाधिक संवेदनशील विकासखण्डों/क्षेत्रों की पहचान मार्च–अप्रैल माह तक कर ली जायेगी। इस कार्य के लिए राज्य स्तर पर राज्य आपदा नोडल अधिकारी, (सचिव अप्रेजल, उत्तराखण्ड जल संस्थान) तथा जनपद स्तर पर अधीक्षण अभियन्ता उत्तरदायी होंगे।

- सूखा आपदा को ध्यान में रखते हुए मुख्यालय के निर्देश पर दिसम्बर–जनवरी माह तक अधिशासी अभियन्ता अपने अधीनस्थ सहायक अभियन्ता/जूनियर अभियन्ताओं के माध्यम से अति सूखा प्रभावित व पेयजल संकट से जूझने वाले गांवों का मानचित्रण कर लेंगे। यह आकलन विगत वर्ष के आधार पर होगा।

- विभाग के राज्य मुख्यालय के निर्देशानुसार अधिशासी अभियन्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि आपदा संभावित क्षेत्रों में योजना (Scheme) के अन्तर्गत किया जाने वाला बड़ा निर्माण कार्य (यदि हो रहा हो तो) 30 जून से पहले पूरा कर लिया जाये। निर्धारित समय में कार्य पूरा न हो सकने की स्थिति में कार्य को रोक दिया जायेगा। यदि आवश्यक होगा तो जलापूर्ति हेतु अस्थाई व्यवस्था की जायेगी।

3.3 संसाधन मानचित्रण

- राज्य के विभाग मुख्यालय से प्राप्त निर्देश के आधार पर जनपद के अधिशासी अभियन्ता सहायक अभियन्ता व जूनियर अभियन्ता को यह निर्देश देंगे कि वे मई माह तक विभाग के सुरक्षित स्टाक में विभिन्न प्रकार के पाइप, स्पेशल्स, टूल्स एण्ड प्लाण्ट (टी0एण्डपी0), सेण्ट्रीफ्यूगल पम्पिंग प्लाण्ट के स्पेयर पार्ट एवं हैण्डपाइप तथा सबमर्सिबल पम्प व जल शुद्धिकरण दवाओं (Sodium Hypo Choloride) की उपलब्धता सुनिश्चित कर लेंगे।

- विभाग स्तर पर तैयार सभी मानव एवं भौतिक संसाधनों की सूची को अधिशासी अभियन्ता जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के सहयोग से एस0डी0आर0एन0/आई0डी0आर0एन वेबसाइट पर अपडेट करायेगा।

- मुख्य महा प्रबन्धक/प्रबन्ध निदेशक के निर्देश पर मई माह तक सभी जनपदों के अधिशासी अभियन्ता क्षेत्रवार सहायक/जूनियर अभियन्ता के सहयोग से सामग्री आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों, फिटर एवं उनकी पूरी गैंग, टैंकर व टैंकर मालिकों को चिन्हित कर फोन नं0 सहित उनकी सूची तैयार कर लेंगे। तैयार सूची को राज्य विभाग मुख्यालय तथा जिला एवं राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को सौंप दिया जायेगा।

- सूखा स्थितियों में पेयजल संकट से निपटने हेतु दिनांक 31 मार्च तक अधिशासी अभियन्ता टैंकरों का टेण्डर करने की प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। दर तथा लोकेशन के आधार पर संस्तुत टैंकर की सूची अधीक्षण अभियन्ता को भेज देंगे। अधीक्षण अभियन्ता के माध्यम से यह संस्तुत सूची जिला आपदा प्रबन्धन नोडल अधिकारी/जिलाधिकारी को भेजी जायेगी।

- अधिशासी अभियन्ता के निर्देश पर मार्च–अप्रैल माह तक जूनियर अभियन्ता टैंकरों को भरने के लिए फिलिंग स्टेशनों को चिन्हित कर टैंकरों को भरने की आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर लेंगे ताकि आपदा की स्थिति में टैंकरों से पानी पहुंचाने में सरलता हो।

3.4 संसाधनों का रख-रखाव

- आपदा संभावित क्षेत्रों में सभी सहायक व जूनियर अभियन्ता माह मई तक अपने खण्ड के अन्तर्गत पाइप लाइनों, हैण्डपम्पों, ट्यूबवेलों एवं ओवर हेड टैंकों की देख–रेख व मरम्मत सुनिश्चित कर उसकी वर्तमान स्थिति की सूचना अधिशासी अभियन्ता को सौंप देंगे।

- सभी सहायक व जूनियर अभियन्ता अपने सहयोगियों के सहयोग से विभाग के पास उपलब्ध मोबाइल जनरेटरों की ओवरहालिंग व मरम्मत करना सुनिश्चित करेंगे ताकि आपदा के समय बिजली संकट की स्थिति में पानी आपूर्ति की जा सके।

3.5 क्षमतावर्धन व माकड्रिल का आयोजन

- आपदाओं से निपटने हेतु जनपद स्तर पर अधिशासी अभियन्ता द्वारा विभाग स्तर पर विभागीय कर्मचारियों के लिए समय–समय पर प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी।

- आपदा प्रबन्धन कार्यालय द्वारा आपदा से बचाव हेतु समय–समय पर राज्य एवं जनपद स्तर पर आयोजित किये जाने वाले पूर्वाभ्यासों में विभाग अपने अधिकारियों को नामित करेगा व सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करेगा।

- समुदाय स्तर पर जागरूकता उत्पन्न करने हेतु विभाग समय–समय पर विभिन्न माध्यमों से जागरूकता अभियान चलाया जायेगा।

4. सूचना का प्रवाह व क्रियाशीलता हेतु मार्ग निर्देश

विभाग के अन्दर आपदाओं के सन्दर्भ में सूचना देने हेतु सूचना का प्रवाह दोनों तरफ से किया जायेगा। किसी भी आपदा की स्थिति में सूचना की दो परिस्थितियां बन सकती हैं –

i) आपदा घटित होने की सूचना ग्राम स्तर पर कार्य करने वाला लाइनमैन/फिटर जूनियर अभियन्ता को देगा। जूनियर अभियन्ता अपने स्तर से किये जा सकने वाले कार्यों को करते हुए स्थिति की सूचना अधिशासी अभियन्ता को देगा। यह सूचना टेलीफोनिक अथवा सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सअप के माध्यम से हो सकती है। अधिशासी अभियन्ता स्थिति की गम्भीरता को जांचते हुए राज्य स्तर पर सम्बन्धित अधिकारियों व जिला आपदा प्रबन्धन केन्द्र को अवगत करायेगा।

ii) सूचना की दूसरी स्थिति में आपदा घटित होने की सूचना राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र से विभाग के राज्य कार्यालय तक आयेगी। विभागीय सचिव के निर्देशन में विभाग के आपदा नोडल अधिकारी सम्बन्धित जनपद/जनपदों के अधिशासी अभियन्ता को सूचित करेंगे। यहां से सूचना का प्रसार सहायक अभियन्ता/जूनियर अभियन्ता से होते हुए लाइनमैन/फिटर तक होगा।

5. दिशा-निर्देशन एवं समन्वयन

यद्यपि कि विभागीय आपदा प्रचालन कार्यविधि के अन्तर्गत गांव से लेकर राज्य स्तर तक पर कार्यों को सम्पादित किये जाने हेतु राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा–निर्देश के आलोक में सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग तथा उत्तराखण्ड जल संस्थान के मुख्य महा प्रबन्धक व पेयजल निगम के प्रबन्ध निदेशक अपने अधीनस्थ इकाईयों को आपातकाल के दौरान काम करने हेतु दिशा–निर्देश जारी करेंगे। इन दिशा–निर्देशों के आलोक में विभाग

के अन्दर गठित आपदा प्रबन्धन दल तथा जूनियर अभियन्ता से लेकर फिटर तक सभी अपने–अपने स्तर पर सक्रिय हो जायेंगे। फिर भी सक्रियता की स्थितियों का निर्धारण निम्न परिस्थितियों पर निर्भर करेगा–

5.1 अल्प अवधि की चेतावनी अथवा चेतावनी न मिलने की स्थिति में सक्रियता

विभाग को आपदा घटित होने की पूर्व चेतावनी मिलने के तत्काल बाद आपदा घटित होने अथवा चेतावनी न मिलने की स्थिति में सहायक / जूनियर अभियन्ता तथा लाइनमैन / फिटर सभी अपने स्तर पर सक्रिय हो जायेंगे और वहां पर पेयजल व्यवस्था को सुचारू करने के लिए कार्य प्रारम्भ कर देंगे और आगे के दिशा–निर्देश के लिए अधिशासी अभियन्ता पर निर्भर करेंगे।

5.2 पहले से चेतावनी मिलने की स्थिति में सक्रियता

मौसम विभाग द्वारा राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र को 48–72 घण्टे पहले मौसमी आपदा की चेतावनी जारी की जाती है। आपदा से सम्बन्धित चेतावनी मिलने के बाद राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र द्वारा विभाग के राज्य मुख्यालय को सूचित किया जायेगा। तत्पश्चात् जनपद एवं विकास खण्ड स्तर पर सूचना का संचलन होगा। जनपद स्तर पर अधिशासी अभियन्ता जल संस्थान एवं अधिशासी अभियन्ता जल निगम जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र के समन्वय में रहेंगे और जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र से भी चेतावनी जारी की जायेगी। अधिशासी अभियन्ता के माध्यम से सहायक अभियन्ता, जूनियर अभियन्ता व बेलदार, फिटर तक चेतावनी पहुंचेगी। सूचनाओं के आलोक में प्रत्येक स्तर पर निर्देश भी जारी होंगे।

आपदा के दौरान विभाग के मुख्य महा प्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन एवं निर्माण निगम राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र, जनपद स्तर पर अधिशासी अभियन्ता जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र / जिलाधिकारी एवं विकास खण्ड स्तर पर जूनियर अभियन्ता उप जिलाधिकारी के निर्देशन में कार्य करेंगे।

तीव्रता के आधार पर क्रियाशीलता के स्तरों का निर्धारण

आपदा की तीव्रता के आधार पर क्रियाशीलता के एल1, एल2 व एल3 स्तर का निर्धारण होगा। आपदा का प्रतिवादन करने हेतु नियोजन भी उपरोक्त तीन स्तरों के आधार पर की जानी होगी। स्तरों के आधार पर नियोजन निम्नानुसार होगा–

एल–1 आपरेशन
यह क्रियाशीलता का न्यूनतम स्तर होता है। इस स्तर में कुछ ही लोगों की आवश्यकता होती है। मुख्यतः इस स्तर में योजनाएं बनाने, सूचनाएं प्रसारित करने जैसा कार्य प्रमुख होता है। उदाहरणस्वरूप चेतावनी प्रसारित करना या कुछ निम्न स्तरीय घटनाओं से सम्बन्धित योजना बनाना आदि इस स्तर में शामिल होते हैं।

एल–2 आपरेशन
इस स्तर के आपरेशन के दौरान अधिक आपदा बचाव कार्यकर्त्ताओं की आवश्यकता पड़ती है। इस स्तर की आपदा में जिला नोडल अधिकारी सभी क्रियाओं का संचालन एवं समन्वयन कर सकता है।

एल–3 आपरेशन
एल–3 स्तर की आपदाओं में विभाग से जुड़े सभी लोगों की क्रियाशीलता एवं संलिप्तता आवश्यक होती है। यह स्तर सामान्यतः उस दशा में लागू किया जाता है, जब आपदा का समय पूर्व निर्धारित हो और आपदा की तीव्रता अत्यधिक हो। एल 3 स्तर के आपरेशन में राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र के समन्वयन में महानिदेशक (स्वास्थ्य सेवाएं) के निर्देश पर विभाग प्रतिवादन करेगा।

6 आपदा के दौरान की जाने वाली गतिविधियों की प्रक्रिया

6.1 प्रथम चरण

- आपदा घटित होने की सूचना मिलते ही आई0आर0एस0 के अन्तर्गत प्रत्येक स्तर पर गठित टीम के सदस्य सक्रिय हो जायेंगे और राज्य व जनपद स्तर पर आपातकालीन परिचालन केन्द्र से सम्पर्क स्थापित कर स्टेजिंग एरिया में पहुंचेंगे।

- आपदा प्रभावित जनपद में जनपद स्तर का विभागीय नोडल अधिकारी सभी कार्मिकों की उपस्थिति सुनिश्चित करेगा। अवकाश पर जाने वाले कार्मिकों का अवकाश तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा।

- अधिशासी अभियन्ता जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र से निरन्तर सम्पर्क बनाये रखेंगे और जिलाधिकारी के निर्देश पर विभागीय व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

- आपदा अप्रभावित क्षेत्रों के जल संस्थान व पेयजल संसाधन एवं निर्माण निगम के कर्मचारियों एवं अभियन्ताओं की तैनाती आपदा प्रभावित क्षेत्र में मुख्यालय / महाप्रबन्धक कार्यालय / मुख्य अभियन्ता / अधीक्षण अभियन्ता / अधिशासी अभियन्ता द्वारा क्रमानुसार लिखित रूप से की जायेगी।

- आपदा की सूचना मिलते ही (आपदा की प्रभाविता के स्तर पर) अधिशासी अभियन्ता / सहायक अभियन्ता / जूनियर अभियन्ता तुरन्त आपदा प्रभावित क्षेत्र में पहुंचेगे और आवश्यकतानुसार अपने साथ पाइप, एच0डी0ई0पी0 पाइप, स्पेशल्स, गैंती, फावड़ा, बेलचा, सोडियम हाइपो / ब्लीचिंग पाउडर एवं मजदूर को लेकर जायेंगे।

- विशेषकर सूखा आपदा की स्थिति में ग्राम प्रधान के माध्यम से उप जिलाधिकारी विभाग को सूखा स्थिति की सूचना देगा। प्राप्त सूचना के आधार पर अधिशासी अभियन्ता के निर्देश पर जूनियर अभियन्ता स्थिति की जांच करेगा और स्थिति की गम्भीरता के आधार पर प्रभावित क्षेत्र तक टैंकर से पानी पहुंचाया जायेगा।

6.2 द्वितीय चरण

- आपदा घटित होने के बाद जूनियर अभियन्ता / बेलदार / फिटर लोगों को टैंकर से पानी उपलब्ध करायेंगे। पहाड़ी क्षेत्रों में जिला प्रशासन के सहयोग से खच्चर से पानी पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे। साथ ही साथ पानी के प्राकृतिक स्रोतों की पहचान कर उसकी साफ–सफाई कर उपयोग में लाने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे ताकि आपदा प्रभावितों एवं सहयोग में लगे अन्य विभागीय कार्मिकों, स्वास्थ्य कार्मिकों व अन्य लोगों को पेयजल उपलब्ध हो सके।

- उपलब्ध कराये जाने वाले पेयजल की गुणवत्ता जांच की जायेगी तथा पानी को क्लोरीनयुक्त किया जायेगा। जन अथवा पशु हानि वाले क्षेत्रों में आपदा स्थल से ऊपर की तरफ प्राकृतिक पेयजल स्रोत की खोज की जायेगी और उस पानी को लगातार विसंक्रमित किया जायेगा। यह कार्य अधिशासी अभियन्ता के निर्देश पर सहायक अभियन्ता / जूनियर अभियन्ता बेलदार / फिटर के माध्यम से करेंगे।

- अधिशासी अभियन्ता के निर्देश पर सहायक अभियन्ता / जूनियर अभियन्ता आपदा से प्रभावित लोगों के लिए स्थापित शिविरों पर शुरू के दिनों (1–2 दिन) हेतु तथा संकटग्रस्त मैदानी क्षेत्रों में पानी के टैंकर की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। लम्बे समय तक चलने वाले शिविर में (7–10 दिन या उससे अधिक दिनों) हैण्डपम्प लगाना सुनिश्चित किया जायेगा।

- क्षतिग्रस्त पाइपलाइनों को बदलने की प्रक्रिया जूनियर अभियन्ता द्वारा समय–समय पर की जाती रहेगी।

- पाइपलाइन के अधिक क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में जूनियर अभियन्ता पाइपलाइनों की मरम्मत सुनिश्चित करते हुए क्षति की सूचना अधिशासी अभियन्ता को देगा और अतिरिक्त सामग्रियों की मांग करेगा। इस मांग को अधिशासी अभियन्ता राज्य कार्यालय तक पहुंचायेंगे।

- बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में जूनियर अभियन्ता बेलदार व फिटर की सहायता से सभी हैण्डपम्पों का ऊपरी सिरा खोलकर क्लोरीनेशन का कार्य करेंगे।

- विभाग मुख्यालय के निर्देश पर अधिशासी अभियन्ता राहत एवं बचाव कार्य हेतु विभागीय कार्मिकों की वैकल्पिक टीम भी तैयार रखेंगे ताकि लम्बे समय तक चलने वाली आपदा में रोस्टर के अनुसार कार्य सम्पन्न किया जाये।

- सम्बन्धित क्षेत्र के अधीक्षण अभियन्ता व अधिशासी अभियन्ता विभागीय कार्यों की प्रगति से महाप्रबन्धक/मुख्य अभियन्ता व विभाग मुख्यालय को निरन्तर अवगत कराते रहेंगे ताकि किसी भी प्रकार की अतिरिक्त सहायता लेने की स्थिति में तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित हो सके।

7. आपदा के बाद की जाने वाली गतिविधियों का प्रक्रिया

आपदा बाद लेखा सम्बन्धी एवं अन्य विभिन्न प्रशासनिक कार्य व उनकी प्रक्रिया निम्नवत् होगी–

7.1 प्रशासनिक कार्य

- आपदा के तुरन्त बाद बेलदार के सहयोग से जूनियर अभियन्ता प्रत्येक सप्ताह सभी हैण्डपाइपों को खोलकर क्लोरीनेशन करेंगे।

- अधीक्षण अभियन्ता के निर्देशानुसार जूनियर अभियन्ता जल की गुणवत्ता जांच विभागीय लैब में करायेंगे और प्राप्त संस्तुति के आधार पर पेयजल का शुद्धिकरण सुनिश्चित करेंगे।

- अधीक्षण अभियन्ता के निर्देश पर अक्टूबर माह तक बेलदार अर्थात पाइप लाइन सहायक के सहयोग से जूनियर अभियन्ता शिविर स्थलों पर बने सभी हैण्डपाइपों को खोलकर वापस विभागीय सुरक्षा में लेंगे और अस्थाई पाइप लाइनों को शिविरों से हटा देंगे।

7.2 सम्पादित प्रचालन पर विचार विमर्श

- सम्बन्धित जूनियर अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता पूरे आपदा प्रभावित क्षेत्र का विधिवत भ्रमण कर क्षति का गहन आकलन कर उसकी रिपोर्ट तैयार करेंगे। उसकी पुनर्स्थापना में लगने वाले खर्च का विवरण तैयार करेंगे। रिपोर्ट में क्षति के फोटोग्राफ्स लगायेंगे और फिर उसका सत्यापन सम्बन्धित क्षेत्र के पटवारी एवं परगनाधिकारी से कराकर अधिशासी अभियन्ता के माध्यम से दो प्रतियों में जिला प्रशासन को सौंप देंगे। साथ ही एक प्रति विभाग के राज्य मुख्यालय को भी प्रेषित की जायेगी।

- मांग की स्वीकृति व धनावंटन होने के बाद अधिशासी अभियन्ता के निर्देशन में विभागीय निर्धारित प्रक्रिया व नियमों के अन्तर्गत कार्यों/क्षतिग्रस्त ढांचों/पाइप लाइनों की तत्काल मरम्मत सुनिश्चित कराई जायेगी। कार्यों की प्रगति के दौरान फोटोग्राफी की जायेगी।

8. सुझाव

9. चेकलिस्ट

पूर्व तैयारी हेतु चेकलिस्ट

यह प्रपत्र जिला नोडल अधिकारी द्वारा 15 जून से पहले भरकर जिलाधिकारी/जिला आपदा प्रबन्धन केन्द्र को सौंपा जायेगा–

कार्य किया गया	हॉ/नहीं	टिप्पणी
विभागीय आपदा योजना के अन्तर्गत उत्तरदायित्व का निर्धारण पूर्व में ही कर लिया गया है।		
विभागीय कार्मिकों (मुख्यालय से लेकर क्षेत्र स्तर तक के) को आपदा प्रबन्धन की ट्रेनिंग दी गयी है।		
विभाग के अन्दर पूर्व तैयारी और न्यूनीकरण योजना को लागू किया गया है।		
जल आपूर्ति के सन्दर्भ में पर्याप्त चेतावनी प्रक्रिया का विकास किया गया है।		
अतिरिक्त पाइप, कनेक्शन, ज्वाइण्ट्स, हाइड्रेन्टड, ब्लीचिंग पाउडर आदि की उपलब्धता है।		
मोटर पम्प की सुरक्षा हेतु पर्याप्त व्यवस्था है।		

आपदा के दौरान

यह प्रपत्र राज्य व जिला नोडल अधिकारी, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा भरकर राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र/जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र व प्रमुख सम्बन्धित विभाग को सौंपा जायेगा –

कार्य किया गया	हॉ/नहीं	टिप्पणी
विभागीय आपदा नोडल अधिकारी द्वारा निम्न संस्थाओं/व्यक्तियों से संचार व्यवस्था स्थापित की गयी है – ◆ राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र ◆ आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र ◆ आयुक्त आपदा प्रबन्धन ◆ जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र ◆ विभागीय और फील्ड कार्यालय (डिवीजन के अन्तर्गत)		
आपदा के दौरान जल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु आफीसर इन्चार्ज नियुक्त किया गया है।		
अस्पताल की पानी की टंकी भरी है तथा अस्पताल आपातकाल के दौरान उसका उपयोग कर रहा है।		
लोगों को इस बात की सूचना दी गयी है कि वे आपातकाल से निपटने हेतु पानी का भण्डारण कर लें।		
निम्न विभागीय ढांचों का नियमित रूप से निरन्तर निरीक्षण व देख–रेख की जा रही है– – इन्टेक कुंए एवं अन्य ढांचा – पम्पिंग स्टेशन – जमीन से ऊपर भवन – पम्पिंग मेन्स – ट्रीटमेंट प्लांट		
विद्युत अवरोध के कारण जलापूर्ति की स्थिति में आपदा सुरक्षित भवनों में जनरेटर या अन्य वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है।		
आपातकाल के दौरान जलापूर्ति हेतु पानी के टैंकर की पर्याप्त व्यवस्था है।		
सभी ट्रान्जिट कैम्पों, राहत शिविरों, प्रभावित ग्रामों, जानवरों के शिविर सहित सभी स्थानों पर जल की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है।		
जलापूर्ति सुनिश्चित करने हेतु मोटर चलाने के लिए डीजल का बफर स्टाक है।		
जलापूर्ति पद्धति के रख–रखाव व मरम्मत हेतु आकस्मिक व्यवस्था है।		
पीने के पानी की आपूर्ति कीटाणु रहित प्रक्रिया के अन्तर्गत की जा रही है।		

नोट

नोट